

**न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा**

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-168/2021  
सी०एन०टी० एक्ट की धारा-46(1)(B) अंतर्गत  
श्री विकास कुमार एवं अन्य - विक्रेता  
प्रति  
श्री बीरेन्द्र पाल - क्रेता  
आदेश

12.01.22  
अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेताओं) (1) श्री विकास कुमार, पिता स्व० राजेन्द्र पाल, (2) रीता कुवर, पति स्व० राजेन्द्र पाल, ग्राम-ओबरा, पोस्ट-अन्नराज नावाडीह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा में मौजा-ओबरा, थाना नं०-371 के अन्दर खाता सं०-47, प्लॉट सं०-117, रकबा- $0.03^1/4$  ए०, प्लॉट सं०-119, रकबा- $0.02^7/12$  ए०, प्लॉट सं०-125, रकबा- $0.01^1/2$  ए०, प्लॉट सं०-371, रकबा- $0.00^5/12$  ए०, प्लॉट सं०-372, रकबा- $0.03^7/12$  ए० एवं प्लॉट सं०-630, रकबा- $0.05^1/3$  ए०, कुल रकबा- $0.16^2/3$  एकड़ भूमि क्रेता श्री बीरेन्द्र पाल, पिता रघुनाथ पाल, ग्राम-ओबरा, पोस्ट-अन्नराज नावाडीह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को भूमि विक्री करने की माँग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा-46(1)(B) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त खाता-प्लॉट की भूमि हेतु आम सूचना निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा से जाँच प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक (विक्रेताओं) के परदादा एवं दादा सुसर के नाम से मांग पंजी-II के पृष्ठ सं०-117/1 पर हाल सर्वे के अनुसार मांग चलता है। उपर्युक्त भूमि आवेदक (विक्रेताओं) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है।

अंचल अधिकारी, गढ़वा के पत्रांक-1485, दिनांक-24.12.2021 एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक-05, दिनांक-08.01.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस भूमि को विक्री करने के संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक (विक्रेताओं) एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। विक्रेता जाति के पाल गेड़री (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के पाल गेड़री (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है। उक्त भूमि रैयती खाते की भूमि है।

अतः अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेताओं) (1) श्री विकास कुमार, पिता स्व० राजेन्द्र पाल, (2) रीता कुवर, पति स्व० राजेन्द्र पाल, ग्राम-ओबरा, पोस्ट-अन्नराज नावाडीह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को क्रेता श्री बीरेन्द्र पाल, पिता रघुनाथ पाल, ग्राम-ओबरा, पोस्ट-अन्नराज नावाडीह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को निम्नांकित भूमि विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

P.T.O


**भूमि का विवरण**


न्यायालय

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
ओबरा	371	47	117	0.03 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	उ०-बरती देवी, द०-कुतबुद्दीन अंसारी वगैरह, पू०-सुखदेव साव वगैरह, प०-सौकत अंसारी वगैरह
			119	0.02 <sup>7</sup> / <sub>12</sub>	उ०-सुलतान अंसारी, द०-नीज विक्रेतागण, पू०-जितेन्द्र सिंह, प०-बैजनाथ पाल
			125	0.01 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	उ०-नीज विक्रेता वगैरह, द०-ग्यासुद्दीन अंसारी वगैरह, पू०-सौकत अंसारी, प०-बैजनाथ पाल
			371	0.00 <sup>5</sup> / <sub>12</sub>	उ०-नीज विक्रेता वगैरह, द०-रास्ता, पू०-नसीर अंसारी वगैरह, प०-नीज विक्रेता वगैरह
			372	0.03 <sup>7</sup> / <sub>12</sub>	उ०-कुतबुद्दीन अंसारी वगैरह, द०-अलमुद्दीन अंसारी वगैरह, पू०-ग्यासुद्दीन अंसारी वगैरह, प०-रास्ता
			630	0.05 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	उ०-तपेश्वर पाल, द०-रास्ता, पू०-हरिहर साव वगैरह, प०-रास्ता
कुल रकबा :-				<b>0.16<sup>2</sup>/<sub>3</sub></b>	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।

  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।